राजस्व आदेश अनुवृत्ति--पत्र

रा0प्र0क्र0 202505154200003 / अ--162 / 2024--25

(2)

5/06/2025	– प्रकरण प्रस्तुत।
	--प्रकरण आदेश हेतु नियत। अवलोकन किया गया।
	--आवेदिका मु0 गुनमनी पति दामोदर, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गुमडेल तह0 बकावण्ड जिला बस्तर छ0ग0 द्वारा ग्राम गुमडेल प0ह0नं0 20 राजस्व निरीक्षक बकावण्ड भूमि खसरा नं.0 435 रकबा 2.1100है0 पर 190 आम के वृक्ष को कटाने की अनुमति चाही है। वाद भूमि का संबधित किश्तबंदी खतौनी व नक्शा प्रस्तुत है।
	–प्रकरण दर्ज कर निर्धारित प्रपत्र–घ में वन व राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन आहूत किया गया। संयुक्त प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक बकावण्ड द्वारा पृथक से प्रतिवेदन दिया गया है, राजस्व निरीक्षक बकावण्ड के प्रतिवेदन अनुसार उक्त वृक्षों वृद्ध हो चुके है, जिसकी उम्र लगभग 80 से 90 वर्ष के है, वृक्षों के औसत गोलाई लगभग 1.94 मीटर है। उक्त भूमि पर खड़े आम का वृक्षों में फल नहीं आ रहा है। आवेदक उक्त भूमि पर खड़े आम का वृक्ष को काटकर नया आम का वृक्ष लगाना चाहता है।
	– रा0नि0 एवं वन विभाग के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। वर्तमाान में उक्त सभी वृक्ष वृद्ध हो गए है लेकिन सुखे नही है।
	– अतः वृक्ष कटाइं के नियम 2022 के कंडिका 3(चार) के अनुरूप नही होने से आवेदन खारिज किया जाता है।
	नस्ती कर दा0द0 हो।
	अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बकावण्ड